

२५<sup>२</sup>/<sub>२</sub> अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
 को रजिस्ट्रार होकर पेश हुआ है। अतः  
 सुनवाई हेतु दिनांक १६/१/२०२१ को पेश हो

सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमन्

२६<sup>२</sup>/<sub>२</sub> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित  
 हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।  
 एवं पत्रावली का डायलॉग सिद्धा गया।  
 बहस पर मनन पश्चात् न्यायद्वय में  
 प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायद्वय प्रसीद्ध  
 सिद्धा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।  
 अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र शीघ्र  
 सिद्धा जाय - प्रश्न क्रमांक ०४/२०२०  
 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक १८.०१.२०२१  
 को पुनः नम्बर पर लेम का हारोडा  
 दिया जाता है। पत्रावली फल शुभा  
 हीन नम्बर में डम है। निर्णय सुब  
 भाग्यालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमन्

